तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** ——— उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थी श्री गौतम चन्द टांक उप राजकीय अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी **आदेश** यह पुनरीक्षण याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरूद्ध हैं। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाहीं की जाकर न्यायालय सहायक अभियंता एवं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड नीम का थाना द्वारा आदेश 31–7–93 द्वारा बेदखली की कार्यवाहीं की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 24–1–94 द्वारा खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की। जो आदेश दिनांक 24–7–02 द्वारा कोस्ट अदा नहीं करने की स्थिति में खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि सडक मार्ग निकलने के पश्चात् शेष बची हुई भूमि तत्कालीन रिकोर्डेड खातेदार द्वारा प्रार्थी को बेचान कर दी। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर रिहायशी मकान बनवा लिया, जो नजरी नक्शें से सिद्ध है। राजस्व रिकोर्ड एंव नक्शे में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने बंदोबस्त गलत इंद्राजात कर उक्त शेष बची हुई आराजीयात को अदृश्य कर दिया। जिससे नये व पुराने सडक मार्ग दोनों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी की द्वितीय अपील अपीलीय न्यायालय ने अदम हाजरी, अदम पैरवी में दिनांक 24–4–2000 को निरस्त करने पर तत्पश्चात् दिनांक 23–5–2002 को कोस्ट पर पुनः नंबर पर ली तथा दिनांक 24–7–02 को कोस्ट अदा न करने पर खारिज कर दी। उनका तर्क है कि उनके अभिभाषक द्वारा उक्त आदेशों के बारे में सूचित नहीं किया गया जिससे आदेशों की जानकारी के अभाव में प्रार्थी कोस्ट अदा नहीं कर सका।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अभिभाषक की गलती का खामियाजा प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी मजदूर व्यक्ति है तथा बमुश्किल मकान एवं चारदिवारी निर्मित करवाई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त अथवा रोके नहीं किये गये तो प्रार्थी अपनी खरीदशुदा आराजीयात से महरूम हो जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण वर्ष 2004 से लम्बित है। अपील प्राधिकारी ने प्रार्थी द्वारा कोस्ट जमा नहीं कराने की स्थिति में उसकी अपील खारिज की है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कोस्ट जमा कराने के सबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा अभिभाषक की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुये न्यायहित में हस्तगत् निगरानी 10000/—रूपये की कोस्ट पर स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय की मूल अपील सं. 56/2002 को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी के द्वारा इस आदेश से एक माह की अवधि के भीतर कोस्ट राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 24—7—02 यथावत रहेगा। उभय पक्ष न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 21—6—2022 को उपस्थित होंवे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभय पक्ष को आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए